



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032021-226287
CG-DL-E-31032021-226287

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943

No. 130]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(दिल्ली विश्व विद्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2021

फा.सं.16-57/2016 सीयू-II.—दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 (1922 का VIII) की धारा 31 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, कार्यकारी परिषद कुलाध्यक्ष विजिटर के अनुमोदनानुसार दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यादेशों में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ

- दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में मुक्त शिक्षा विद्यालय से संबंधित अध्यादेश XX (8) में संशोधन।
- ये अधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे।

2. पूर्ववर्ती पत्राचार पाठ्यक्रम एवं अनुवर्ती शिक्षा विद्यालय के स्थान पर मुक्त शिक्षा विद्यालय को दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश XX (8) के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय द्वारा अनुशिक्षित संबद्ध कालेज के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम की धारा 2 (f) एवं 12 (B) के अन्तर्गत मान्यता प्रदान करना और मुक्त शिक्षा विद्यालय के कार्यकारी निदेशक पद को प्राचार्य के रूप में तुरन्त प्रभाव से नामित करना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में अध्यादेश XX (8) में होने वाले अनुवर्ती संशोधन में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा।

खंड	वर्तमान	संशोधित
खंड 2.1 (v)	कार्यकारी निदेशक, मुक्त शिक्षा विद्यालय – सदस्य सचिव (पदेन)	प्राचार्य, मुक्त शिक्षा विद्यालय – सदस्य सचिव (पदेन)
खंड 2.3 (xv)	कार्यकारी परिषद की मंजूरी से विद्यालय की निधियों को कार्यकारी परिषद द्वारा विनिर्देशित बैंक/बैंकों में रखने और कार्यकारी निदेशक अथवा अन्य विनिर्देशित अधिकारी को बैंक खाते चलाने हेतु।	कार्यकारी परिषद की मंजूरी से विद्यालय की निधियों को कार्यकारी परिषद द्वारा विनिर्देशित बैंक/बैंकों में रखने और प्राचार्य अथवा अन्य विनिर्देशित अधिकारी को बैंक खाते चलाने हेतु।
खंड 3	कार्यकारी निदेशक मुक्त शिक्षा विद्यालय के कार्यकारी निदेशक की भूमिका एवं कार्य प्राचार्य के समान होंगे। कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर के वेतनमान में होंगे। कार्यकारी निदेशक के पद हेतु आवश्यक / वांछित योग्यतायें निम्न प्रकार होंगी। X X X X शासी निकाय कार्यकारी परिषद की मंजूरी से कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति करेगी।	प्राचार्य x x x x प्राचार्य प्रोफेसर के वेतनमान में होंगे। प्राचार्य के पद हेतु आवश्यक योग्यताओं तथा निर्धारित अनुभव के अतिरिक्त प्राचार्य को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव होना वांछनीय है। शासी निकाय कार्यकारी परिषद की मंजूरी से प्राचार्य की नियुक्ति करेगी।
खंड 4	मुक्त शिक्षा विद्यालय को इसके क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना द्वारा विकेन्द्रीकृत किया जायेगा। प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र को एक उप-निदेशक द्वारा चलाया जायेगा जिस पर इसकी शैक्षिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ होंगी और मुक्त शिक्षा विद्यालय के कार्यकारी निदेशक को रिपोर्ट करना होगा। (ii) कार्यकारी निदेशक, मुक्त शिक्षा विद्यालय	मुक्त शिक्षा विद्यालय को इसके क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना द्वारा विकेन्द्रीकृत किया जायेगा। प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्र को एक उप-निदेशक द्वारा चलाया जायेगा जिस पर इसकी शैक्षिक एवं प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ होंगी और मुक्त शिक्षा विद्यालय के प्राचार्य को रिपोर्ट करना होगा। (ii) प्राचार्य, मुक्त शिक्षा विद्यालय
खंड 6 (ii)	कार्यकारी निदेशक, मुक्त शिक्षा विद्यालय	प्राचार्य, मुक्त शिक्षा विद्यालय
खंड 7 (iii)	कार्यकारी निदेशक, मुक्त शिक्षा विद्यालय इसके कोरम में कम से कम तीन सदस्य होंगे जिसमें अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक तथा दो विशेषज्ञों में से कोई एक होंगे।	प्राचार्य, मुक्त शिक्षा विद्यालय इसके कोरम में कम से कम तीन सदस्य होंगे जिसमें अध्यक्ष, प्राचार्य तथा दो विशेषज्ञों में से कोई एक होंगे।
खंड 8	स्टाफ परिषद (iii) विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधियों व अध्यादेशों के प्रावधानानुसार कार्यकारी निदेशक स्टाफ परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। कार्यकारी निदेशक को किसी भी समिति की बैठक में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा। कार्यकारी निदेशक स्टाफ परिषद के निर्णयों को लागू करेंगे। यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है जिस पर कार्यकारी निदेशक की राय में तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता हो, तो कार्यकारी निदेशक आवश्यकता अनुसार उचित कार्यवाही कर सकते हैं तथा इसे स्टाफ परिषद की आगामी बैठक में पुष्टि हेतु रिपोर्ट कर सकते हैं।	स्टाफ परिषद (iii) विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधियों व अध्यादेशों के प्रावधानानुसार प्राचार्य स्टाफ परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। प्राचार्य को किसी भी समिति की बैठक में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकार होगा। प्राचार्य स्टाफ परिषद के निर्णयों को लागू करेंगे। यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है जिस पर प्राचार्य की राय में तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता हो, तो प्राचार्य आवश्यकता अनुसार उचित कार्यवाही कर सकते हैं तथा इसे स्टाफ परिषद की आगामी बैठक में पुष्टि हेतु रिपोर्ट कर सकते हैं।

MINISTRY OF EDUCATION**Department of Higher Education**

(UNIVERSITY OF DELHI)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2021

F. No. 16-57/2016 CU-II:— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of Section 31 of the Delhi University Act 1922 (VIII of 1922), the Executive Council, with the approval of the Visitor, hereby makes the following amendments further to amend the Delhi University Ordinances, namely:—

1. Short Title and Commencement:

- (i) Amendment to Ordinance XX (8) related to School of Open Learning of the Ordinances of the Delhi University.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Proposal to request the UGC to recognise the School of Open Learning under section 2(f) and 12(B) of the UGC Act in place of the erstwhile School of Correspondence Courses and Continuing Education, as a University maintained constituent College under Ordinance XX(8) of the University of Delhi and the post of Executive Director, School of Open Learning be re-designated as the Principal, henceforth. The consequential amendments to Ordinance XX(8) of the Ordinances of the University shall be substituted as under:

Clause	Existing	Amended
Clause 2.1(v)	Executive Director , School of Open Learning – Member Secretary (ex-officio)	Principal , School of Open Learning – Member Secretary (ex-officio)
Clause 2.3 (xv)	to hold, subject to the approval of the Executive Council, the funds of the School in such bank/banks as the Executive Council may specify, and to authorize the Executive Director or such other officer as it may specify to operate the bank account.	to hold, subject to the approval of the Executive Council, the funds of the School in such bank/banks as the Executive Council may specify, and to authorize the Principal or such other officer as it may specify to operate the bank account.
Clause 3	Executive Director <i>The role and functions of the Executive Director of the, School of Open Learning shall be analogous to those of a Principal.</i> The Executive Director shall be in the pay scale of a Professor. The essential / desirable qualifications for the post of Executive Director would be as follows. x x x x The Governing Body shall appoint the Executive Director , subject to the approval of the Executive Council.	Principal <i>Deleted.</i> The Principal shall be in the pay scale of a Professor. In addition to the essential qualifications and experience as may be prescribed, it is desirable that the Principal should have experience in the field of Open and Distance Learning. The Governing Body shall appoint the Principal , subject to the approval of the Executive Council.
Clause 4	The School of Open Learning would be decentralized by setting up Regional Centres. Each Regional Centre would be headed by a Deputy Director who will have academic and administrative responsibilities and would be reporting to the Executive Director , SOL. (ii) Executive Director , School of Open Learning	The School of Open Learning would be decentralized by setting up Regional Centres within its territorial jurisdiction. Each Regional Centre would be headed by a Deputy Director who will have academic and administrative responsibilities and would be reporting to the Principal , SOL. (ii) Principal , School of Open Learning.
Clause 6 (ii)	Executive Director of the School of Open Learning	Principal of the School of Open Learning
Clause 7 (iii)	Executive Director of the School of Open Learning. Three members inclusive of the Chairperson, the Executive Director and at least one of the two experts shall constitute the quorum.	Principal of the School of Open Learning. Three members inclusive of the Chairperson, the Principal and at least one of the two experts shall constitute the quorum.

Clause 8	Staff Council: (iii) Subject to the provisions of the Act, Statutes and Ordinances of the University, the Executive Director shall act as ex-officio Chairperson of the Staff Council. The Executive Director shall have the right to be present and to speak at any meeting of any Committee. The Executive Director shall implement the decisions of the Staff Council. If, in the opinion of the Executive Director, however, any emergency has arisen which requires that immediate action should be taken, the Executive Director shall take such action as he/she deems necessary and shall report the same at the next meeting of the Staff Council for confirmation.	Staff Council: (iii) Subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances of the University, the Principal shall act as ex-officio Chairperson of the Staff Council. The Principal shall have the right to be present and to speak at any meeting of any Committee. The Principal shall implement the decisions of the Staff Council. If, in the opinion of the Principal, however, any emergency has arisen which requires that immediate action should be taken, the Principal shall take such action as he/she deems necessary and shall report the same at the next meeting of the Staff Council for confirmation.
-----------------	---	--

DR. VIKAS GUPTA, Registrar
[ADVT./III/4/Exty. 566/2020-21]